(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 29/2017

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ
(सायल)

बनाम

श्री सुरेश उर्फ करेला उम्र 42 वर्ष पुत्र गोपालदास जाति बैरवा निवासी मदारपुरा सीसवाली जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)
2– श्री बालमुकंद गुर्जर अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 23.07.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री सुरेश उर्फ करेला पुत्र गोपालदास जाति बैरवा निवासी मदारपुरा सीसवाली जिला बारां के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सीसवाली क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सटटा की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 2010 से 2017 की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण जुआ सटटा अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह 04 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्व धारा 41/110 जो0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चूकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	01/2010	13 आरपीजीओ	01/07.07.2010	सजा
2.	01/2016	13 आरपीजीओ	01/21.01.2016	सजा

3.	04 / 2016	13 आरपीजीओ	05 / 22.01.2016	सजा
4.	82 / 2016	13 आरपीजीओ	67 / 26.06.2016	सजा
5.	63 / 201	13 आरपीजीओ	46 / 09.05.2017	पेंडिग कोर्ट
6.	133 / 2017	13 आरपीजीओ	107 / 22.08.2017	पेंडिग कोर्ट

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता मे भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 04 प्रकरणों में धारा 13 आरपीजीओ के तहत न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 08.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 2010 से 2017 की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण जुआ सटट्। अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह 04 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्व धारा 41 / 110 जो0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चूकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल मय अभिभाषक उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र

प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूॅ। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूॅ। मेरा गॉव यहॉ से 40 किलोमीटर दूर पडता है। तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। अतः मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना मांगरोल किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 2010 से 2017 की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण जुआ सटट् अधिनियम अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह 04 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्व धारा 41/110 जो0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चूकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री सुरेश उर्फ करेला पुत्र गोपालदास जाति बैरवा निवासी मदारपुरा सीसवाली जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 04 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओं के तहत न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री सुरेश उर्फ करेला पुत्र गोपालदास जाति बैरवा निवासी मदारपुरा सीसवाली जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल श्री सुरेश उर्फ करेला पुत्र गोपालदास जाति बैरवा निवासी मदारपुरा सीसवाली जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना सीसवाली से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी में भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 10.08.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां